"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 225] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 22 सितम्बर 2005 — भाद्र 31, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खंड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-36/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3304.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत भटगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री बृजेश मिश्रा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-62/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3305.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् महासमुन्द के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री सूर्यकांत तिवारी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-62/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3305.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् महासमुन्द के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री राजेश टीकमचन्द को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री चन्द्रशेखर सैनिक को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री आशीष अग्रवाल (हरिदाऊ) को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री नरेश चौबे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अं[illegible] स आदेश की तिथि से ऐसी काल[illegible] जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ज्योतिष दीवान को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री हरिशंकर चन्द्राकर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2004

आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3306.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत आरंग के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री रामसहाय शर्मा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-38/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3390.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत सीतापुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विजय को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-38/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3390.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत सीतापुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री दिलेश्वर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-38/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3390.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत सीतापुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री प्रेमदान को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-34/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3391.— दिसम्बर 2004 में नगर पालिक निगम अंबिकापुर के महापौर पद का चुनाव लड़ा गया था. अनिता कुजूर को छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगर पालिक निगम महापौर चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-30/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3398.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. अलका को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-30/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3398.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. आलोमनी को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-30/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3398.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. कलेन्सीयस को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-30/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3398.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बलरामपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. रोजालिया को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-37/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3399.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अनिल कुमार गुप्ता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-37/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3399.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ताहीर नूर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-37/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3399.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री प्रेमप्रसाद यादव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-37/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3399.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत लखनपुर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अमीरचन्द्र गुप्ता को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-65/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3416.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत सरायपाली के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. पुष्पा-जोगेन्द्र आहुजा को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-50/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3417.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री भाई ओम प्रकाश जैन को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-50/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3419.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री मनोहर लाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-50/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3419.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जितेन्द्र ध्रुव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2005

आदेश

क्रमांक एफ-50/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3420.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् गोबरा नवापारा के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री विनोद कुमार को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-92/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3554.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कृष्ण कुमार वैष्णव को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-92/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3555.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री दयाशंकर साहू को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 4 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-92/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3556.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री कैलाश ठाकुर को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-79/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3649.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री अजित को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-71/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3650.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् कुम्हारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री छगन पाल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-71/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3651.— दिसम्बर 2004 में नगरपालिका परिषद् कुम्हारी के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री जितेन्द्र कुमार पटेल को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-76/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3652.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बेरला के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री ईश्वरी कोसले को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-76/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3653.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बेरला के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री चंद्रिका प्रसाद सिंवारे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2005

आदेश

क्रमांक एफ-76/रानिआ/न पा /निरर्हता/05/3654.— दिसम्बर 2004 में नगर पंचायत बेरला के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा गया था. श्री संत राम सिंवारे को छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ख) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय का लेखा नियमानुसार प्रस्तुत नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 (ग) के अंतर्गत इस आदेश की तिथि से ऐसी कालावधि जो पांच वर्ष से अनधिक के लिए नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाने तथा पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है.

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ-36/रानिआ/न. पा. /निरर्हता/05/3304.— रायपुर दिनांक 20-06-2005 द्वारा जारी आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 20-06-2004 को पारित लिखा गया है, जिसे दिनांक 20-06-2005 पढ़ा जावे.

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ-62/रानिआ/न. पा. /निरर्हता/05/3305.— रायपुर दिनांक 20-06-2005 द्वारा जारी आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 20-06-2004 को पारित लिखा गया है, जिसे दिनांक 20-06-2005 पढ़ा जावे.

संशोधित आदेश

क्रमांक एफ-53/रानिआ/न. पा. /निरर्हता/05/3306.— रायपुर दिनांक 20-06-2005 द्वारा जारी आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश दिनांक 20-06-2004 को पारित लिखा गया है, जिसे दिनांक 20-06-2005 पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
ओंकार सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2005.